लोकमित्र सफलता की ओर...................

सिचाई एवं जन स्वा0. विभाग

1. श्रीमति कमला देवी ने भोरंज सूचना केन्द्र से 23.06.01 को शिकायत की कि उसका नल पिछले कई दिनों खराब है। शिकायत प्राप्त होने के बाद सिंचाई एवं जन स्वा0 विभाग द्वारा नल 25.06.01 को ठीक कर दिया गया।
2. श्री संजीव कुमार गांव पनाहर ने 04.07.01 को विभाग को शिकायत की कि उनके गांव की मेन पाईप टुटी है, उसे ठीक किया जाए। 10.07.01 को समस्त गांव वासी पानी से वंचित रहे, विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। 11.07.01 को प्रातः लोकमित्र के माध्यम से शिकायत की गई और उसी दिन शाम को सिंचाई एवं जन स्वा0 विभाग द्वारा टूटी पाईप को जोड़ दिया गया।
3. श्री दलीप सिंह व 16 अन्य मुण्डखर तुलसी वासियों ने 28.07.01 को शिकायत की कि उनके घरों को पानी नहीं पहूंचता है। कई बार विभाग के पास शिकायत करने के उपरान्त भी विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोकमित्र में शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त 02.08.01 को सिंचाई एवं जन स्वा0 विभाग द्वारा समस्या का निवारण कर दिया गया।
4. श्रीमति उर्मिला देवी डा0. घर चन्दरूही ने शिकायत की कि उनके नलों में कई महीनों से पानी नहीं आ रहा है। शिकायत करने के उपरान्त भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोकमित्र कार्यालय में शिकायत 03.10.01 को प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 09.10.01 से पूर्व पानी की सप्लाई सुचारू रूप से कर दी गई।
5. गांव घराड़ा वार्ड न0. 11 के समस्त गांव वासियों ने लोकमित्र सूचना केन्द्र वडू के माध्यम से शिकायत की कि उन्हें बार–बार विभाग के चक्कर लगाने के बावजूद कई दिनों से पानी नहीं मिल रहा है। दिनांक 29.09.01 को शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त 06.10.01 से पूर्व पानी की सप्लाई सिंचाई एवं जन स्वा0 विभाग द्वारा शुरू कर दी गई।
6. श्री कर्म सिंह गांव धरोह, डा0. रखोह, त0. सरकाघाट जिला मण्डी ने अगस्त 2001 में लोकमित्र सूचना केन्द्र भरेड़ी के माध्यम से शिकायत की कि वह कई वर्षों से पानी के कनैक्शन हेतु कभी सरकाघाट तो कभी हमीरपुर व कभी बड़सर के चक्कर लगा कर थक चुका है, क्योंकि हमारा गांव दोनों जिलों के मध्य में स्थित है। मामला लोकमित्र द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सिं0.एवं जन स्वा0. विभाग बड़सर से उठाया। उन्होंने अवगत करवाया कि उक्त गांव आई.पी.एच मण्डल सरकाघाट के अर्न्तगत आता है। उसके बाद यह मामला अधीक्षण अभियन्ता, आई.पी.एच. सुन्दरनगर के समक्ष उठाया गया। अधीक्षण अभियन्ता, आई.पी. एच. सुन्दरनगर के त्वरित आदेश से अधिशासी अभियन्ता, आई.पी.एच. सरकाघाट ने लिखित रूप में दिनांक 03.10.01 को श्री कर्म सिंह को अपने कार्यालय में कनैक्शन हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए आमन्त्रित किया ताकि उसका नल स्वीकार किया जा सके।
7. गांव दबसाई डा0. भिड़ा के समस्त निवासियों ने दिनांक 15.10.01 को शिकायत की कि उन्हें कई महीनों से पानी नहीं मिल रहा है। प्रार्थना पत्र देने व बार–बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद भी उनकी समस्या का विभाग द्वारा कोई निवारण नहीं किया गया है। शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त 22.10.01 को पानी की सप्लाई सुचारू रूप से कर दी गई।
8. श्री अमर चंद गांव सालवीं, डा0. डेरा परोल ने निजि नल हेतु 08.12.98 को आवेदन किया था। बार–बार विभाग के चक्कर लगाने के उपरान्त भी विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रार्थी ने 15 अक्तूबर 2001 को लोकमित्र के माध्यम से शिकायत की तथा सिंचाई एवं जन स्वा0 विभाग द्वारा 03. 11.01 को नल स्वीकृत कर दिया गया।
9. कैप्टन श्री हरिचंद गांव कालिया –दा– गांव डा0. कक्कड़ ने लोकमित्र सूचना केन्द्र टौणीदेवी के माध्यम से शिकायत की कि वहां पर स्थित पीने के पानी के टैंक में बहुत गन्दगी है तथा कभी भी इससे महामारी फैलने की आशंका है। सिंचाई एवं जन स्वा0 विभाग को बार–बार शिकायत करने के बाद भी विभाग इस मामले में बेखबर है। 09.11.01 को लोकमित्र में शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त विभाग एकदम गति में आया और 17.11.01 तक टैंक के उपर मेन होल कवर लगाया गया तथा टैंक की सफेदी भी करवाई गई।

10. श्री रघुनाथ शर्मा गांव झगलोट ने 30.10.01 को लोकमित्र सूचना केन्द्र में शिकायत की कि उसका नल लगा ही नहीं है परन्तु फिर भी उसे 7 महीनों का बिल दे दिया गया है। हां उसने प्रतिभूति बगैरा 10. 2000 को जमा करवा दी थी व उसका नल स्वीकार हो गया था। लोकमित्र में शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त इस बारे में सिंचाई एवं जन स्वा0 विभाग से दूरभाष पर बात की गई। दिनांक 03.11.01 को विभाग द्वारा प्रार्थी का बिल रद्द करने के आदेश दे दिए गए।

11. गांव लहहाणा, के श्री पवन कुमार ने लोकमित्र सूचना केन्द्र के माध्यम से हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत की थी, पांच दिन के भीतर सिंचाई एवं जन स्वा0 विभाग द्वारा हैण्डपम्प ठीक कर दिया गया।

12. श्री परमा नन्द जो कि **W.S.S.** मुण्डखर, **Sub Division Bhoranj** में पम्प ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था और जुलाई 31/2001 को सेवा निवृत हो गया था, ने लोकमित्र सूचना केन्द्र जाहू से दिनांक 17.04.04 को शिकायत की कि आई0.पी0.एच0. विभाग, उप–कार्यालय भोरंज ने उसे ग्रेड रिवाईज 1996 की भुगतान राशि दिनांक 16.04.02 तक नहीं दी है। मुझे इस राशि का भुगतान किया जाए। लोकमित्र द्वारा जब यह शिकायत विभाग को भेजी गई तो आई0पी0एच0 विभाग ने इस सम्बन्ध में तत्काल उचित कार्रवाई करते हुए दिनांक 24.04.02 को श्री परमा नन्द को उसकी बकाया राशि का भुगतान कर दिया।

13. श्री राम स्वरूप गांव चपाट जोल तहसील सुजानपुर ने दिनांक 25.06.2002 को लोकमित्र सूचना केन्द्र जंगल बैरी के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके नल में पानी नहीं आ रहा है। शिकायत रिर्पोट हेतु सिचाई विभाग को भेजी गई जिन्होने तुरन्त कारवाई करते हुये प्रार्थी की पानी की सप्लाई बहाल कर दी है।

14. श्री सुरण दास सपुत्र गंगुराम गांव दड़ूही तह0.व जिला हमीरपुर ने सूचना केन्द्र अणु के माध्यम से दिनांक 03.05.02 को शिकायत दर्ज करवाई कि उनके गांव में जो हैण्डपम्प लगा है तथा उस पर जो मशीन लगाई गई है उसके द्वारा पानी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। शिकायत पत्र प्राप्त होने पर सिंचाई एवं जन स्वा0. विभाग द्वारा तुरन्त कारवाई की गई तथा प्रार्थी की मांग के अनुसार पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब गांव दड़ूही को पेयजल सुचारू रूप से दिया जा रहा है।

15. श्री ज्ञान चन्द सपुत्र चौधरी राम गांव डकेड़ा डा0. हिम्मर तह0.भोरंज जिला हमीरपुर ने लोकमित्र सूचना केन्द्र समीरपुर के माध्यम से दिनांक 03.08.02 को शिकायत दर्ज करवाई कि उनके घर के समीप सार्वजनिक नल लगाया जाये। उसकी शिकायत सिंचाई एवं जन स्वा0.विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई। जिस पर सिंचाई एवं जन स्वा0.विभाग ने प्रार्थी के नाम निजि नल स्वीकृत कर दिया गया क्योंकि अकेले परिवार को सरकारी नल नहीं लगाया जा सकता है।

16. श्री मिलाप चन्द सपुत्र श्री कांशी राम गांव धार डा0.पटनौण जिला हमीरपुर ने लोकमित्र सूचना केन्द्र टौणीदेवी के माध्यम से दिनांक 10.11.02 को शिकायत दर्ज करवाई कि मैने एक निजि नल लगवाने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी है लेकिन मुझे छः महीने का बाद भी नल नहीं लग पाया है।उसकी शिकायत सिंचाई एवं जन स्वा0.विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई। जिस पर सिंचाई एवं जन स्वा0.विभाग ने प्रार्थी की मांग के अनुसार दिनांक 13.11.02 को उसे निजि नल स्वीकृत कर दिया गया।

दूर संचार विभाग

1. टैलीफोन न0.32658 नादौन की शिकायत 25.05.01 को लोकमित्र सूचना केन्द्र नादौन के माध्यम से प्राप्त हुई तथा दिनांक 26.05.01 को दूरसंचार विभाग द्वारा फोन ठीक कर दिया गया। दूरभाष नं0. 66658भोरंज की शिकायत दिनांक 15.06.01को प्राप्त हुई तथा दिनांक 16.06.01 को फोन ठीक कर दिया गया। दूरभाष न0. 78616 की शिकायत टौणीदेवी से दिनांक 30.7.01 को प्राप्त हुई तथा दिनांक 07.08.01 को फोन ठीक कर दिया गया। ऊहल टैलीफोन एक्सचेंज के खराब होने की शिकायत दिनांक 08.07.01 को प्राप्त हुई थी तथा इसे विभाग द्वारा दिनांक 09.07.01 को ठीक कर दिया गया। जंगलबैरी एक्सचेंज के खराब होने की शिकायत दिनांक 03.08.01 को प्राप्त हुई तथा इसे विभाग द्वारा दिनांक 13.08.01 को प्राप्त हुई तथा इन्हे दिनांक 22.08.01 को ठीक कर दिया गया।

2. श्री पुरूषोतम चन्द गांव बगेहड़ा तह0.सुजानपुर जिला हमीरपुर ने दिनांक 19 फरवरी 2002 को लोकमित्र के सूचना केन्द्र जंगलबैरी के माध्यम से शिकायत की, कि उसका फोन न0.76253 लगभग दो महीने से खराब पड़ा है। विभाग के पास बार–2 शिकायत करने के उपरान्त भी विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई

कारवाई नहीं की गई ।लोकमित्र में शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त दूर संचार विभाग द्वारा अगले दिन ही उस खराब टैलीफोन सैट को बदल दिया गया।

3. श्री विक्रांत गांव खैरी जिला हमीरपुर ने दिनांक 13 मार्च 2002 को लोकमित्र सूचना केन्द्र जंगलबैरी के माध्यम से शिकायत की, कि उसका दूरभाष न0.76167 पिछले दो महीनों से खराब पड़ा है। विभाग के पास बार–2 शिकायत करने के उपरान्त भी फोन ठीक नहीं किया गया। लोकमित्र में शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2002 को दूरभाष ठीक कर दिया गया।
4. श्री कश्मीर सिंह गांव व डा0.गवारडू जिला हमीरपुर ने दिनांक 15 जनवरी 2003 को लोकमित्र सूचना केन्द्र टौणीदेवी के माध्यम से शिकायत दर्ज की कि उसका दूरभाष नं0.278315 पिदले दो महीने से खराब पड़ा है ।शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। लोकमित्र में शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 16.1.03 को दूरभाष ठीक कर दिया गया।
5. श्री दलीप सिंह गांव ककड़यार डा0.पंजोत ने दिनांक 06.04.03 को लोकमित्र सूचना केन्द्र टौणीदेवी के माध्यम से शिकायत की कि उसका दूरभाष नं0.278170 पिछले दस दिनों से खराब पड़ा है। विभाग के पास बार–2 शिकायत करने के उपरान्त भी फोन ठीक नहीं किया गया। लोकमित्र में शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 08.04.03 को दूरभाष ठीक कर दिया गया।

लोक निमार्ण विभाग

1. लोगों की शिकायत पर जाहू–सुलगवान वाया हौड़ सड़क पर विभाग द्वारा दिशा निर्देश बोर्ड लगाया गया।
2. श्री सुरेश कुमार सपुत्र श्री ईश्वर दास गांव टपरे डा0.टौणीदेवी ने दिनांक 08.12.02 को लोकमित्र सूचना केन्द्र टौणीदेवी के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई थी कि हमारे घर के पास सिविल हस्पताल टोणीदेवी का जो सैप्टिक टैंक बना हुआ है जो कि नए सैप्टिक टैंक बनने के कारण तोड़ दिया गया है। उसका सारा गन्दा पानी लोक निमार्ण विभाग द्वारा हमारे घरों के सामने गिरा दिया गया है ।सारा पानी हमारे पांच–छः घरों के दरबाजों के पास आकर गिर रहा है तथा पूरी सड़क में पानी फैला हुआ है। उसकी शिकायत हि0.प्र0.लो0.नि0.विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई। जिस पर हि0.प्र0.लोक निमार्ण विभाग ने प्रार्थी के घर के पास सिविल हस्पताल टौणीदेवी के सैप्टिक टैंक से जो पानी निकल रहा था उसको उचित नाली बनाकर निकास कर दिया गया है।
4. श्री केहर सिंह भारद्वाज गांव वकन्यार ने दिनांक 06.03.03 को लोकमित्र सूचना केन्द्र ऊहल के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई कि सड़क का कार्य करते समय मलवे से कुंआ/खाती भर गये है, इन्हे हटाया जाया। शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा उसे लेबर द्वारा कुंओं/खाती के मलवे को साफ करवा दिया गया है, यह कार्य 4–5 दिनों में पूर्ण हो जायेगा।

वन विभाग

1. श्री कांशी राम गांव चमारड़ा तह0.सुजानपुर ने दिनांक 25.06.02 को लोकमित्र सूचना केन्द्र जंगलबैरी के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके बांस ठेकेदार श्री तारा चन्द गांव चौड़ू तह0.नादौन ने खरीदे है परन्तु अदायगी नहीं की है। उसका प्रार्थना पत्र वन मण्डल अधिकारी हमीरपुर को भेजा गया, जिन्होने तुरन्त कार्यवाही करते हुये ठेकेदार से राशि दिलवाई।

पुलिस विभाग

1. श्री जगदीश चन्द गांव दरकोटी को गोल्डन लैंड डवैल्पमैंट इंडिया लिमिटेड चण्डीगढ़ की शाखा हमीरपुर द्वारा आर डी जो कि दिनांक 27.12.2000 को पूर्ण हो चुकी थी, किन्तु कम्पनी राशि देने के लिए टाल–मटोल कर रही है। पुलिस के त्वरित योगदान से प्रार्थी को उसी महीने पैसों की अदायगी करवा दी गई।
2. श्रीमति तृप्ता देवी पत्नी रमेश चन्द गांव झांड़ी ने लोकमित्र सूचना केन्द्र भोटा के माध्यम से दिनांक 03.09.02 को शिकायत दर्ज करवाई कि वह दिनांक 14.07.02 को श्यामलात भूमि जिस पर उनका पचास साल से कब्जा है तथा वहां पर वह घास काट रही थी लेकिन कुछ ओरतों ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। शिकायत पत्र प्राप्त होने पर पुलिस विभाग द्वारा उचित कारवाई की गई तथा दिनांक 24.07.02 को प्रतिवादीगण के विरूद्व कलन्दरा तैयार करके उप मण्डल अधिकारी(ना0.)हमीरपुर को भेज दिया गया है।

3. श्री रोशन लाल सपुत्र गणु राम शईदाघाट डा0.भुक्कड़ तह0.भोरंज ने लोकमित्र सूचना केन्द्र भोरंज के माध्यम से दिनांक 29.08.02 को शिकायत दर्ज करवाई कि वह दिनांक 30.07.02 को उसके गांव के श्री गोपी राम आदि लोगों ने उनके साथ मारपीट की तथा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। शिकायत पत्र प्राप्त होने पर पुलिस विभाग द्वारा उचित कारवाई की गई तथा प्रतिवादी के विरूद्ध कलन्दरा जेर धारा 107,150, **Cr,P.C** तैयार करके अदालत में भेजा जा चुका है।

ग्रामीण विकास विभाग

1. श्री विधि चन्द गांव पौडंवी डा. मैड़ ने सूचना केन्द्र भोरंज के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई की कि श्री किरपा राम पुत्र स्व0. भगत राम ने चौतरा गांव में अपनी मलकीयती भूमि में से तीन मरले भूमि टीका पांडवी में एक मकान बनाने को बदले में दी थी,उसमें एक लैटरीन व एक गाड़ी पैकेट या आठ हजार रूपये देने स्वीकार किये इस इकरानामें को श्री विश्म्बर दास पुत्र श्री गुलाव चन्द टीका चौतरा सचिव को आपरेटिव सोसाइटी मैड़ ने लिखा है। इसे प्रधान के पास ही रखा गया था कि जब कभी किसी भी पार्टी को आवश्यकता पड़ेगी तो वह प्रधान से ले सकता है। शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा दोनों पार्टियों के आपस में इकरारनामा अनुसार निर्माण कार्य हो चुका है तथा अब दोनों पार्टिया सहमत है।
2. श्री विक्रम सिंह सपुत्र श्री कांशी राम गांव व डा0. झंझयाणी तह0. बड़सर जिला हमीरपुर ने लोकमित्र सूचना केन्द्र बिझड़ के माध्यम से दिनांक 26.12.01 को शिकायत दर्ज करवाई कि प्रधान द्वारा मई 2000 में मसलाना खुर्द में जंजघर में शंटरिग का काम करवाया था लेकिन 4200/–रू0. के बिलों पर प्रधान द्वारा मेरे हस्ताक्षर करवा लिए लेकिन आज तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले। उसकी शिकायत खण्ड विकास अधिकारी बिझड़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई। जिस पर विभाग ने तुरन्त कार्यवाही करते हुये प्रार्थी को पैसे की अदायगी करवा दी है।
3. श्री जगदेव सिंह पटियाल गांव व डा0. नाईन तह0. बड़सर जिला हमीरपुर ने लोकमित्र सूचना केन्द्र बिझड़ के माध्यम से दिनांक 26.12.01 को शिकायत दर्ज करवाई कि प्रधान द्वारा मेरे 10,000/–रू0. रख लिये गये है कि प्रधान द्वारा मेरे बिलों पर साईन करवा कर पैसे नहीं दिए है। उसकी शिकायत खण्ड विकास अधिकारी बिझड़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई। जिस पर प्रार्थी को पैसे की अदायगी कर दी गई है।

4. गांव परनाली के निवासियों ने दिनांक 10.10.2002 को लोकमित्र सूचना केन्द्र ऊहल से शिकायत दर्ज करवाई की कि गांव के रास्ते को श्री पृथी चन्द ने बन्द कर दिया है। शिकायत पत्र खण्ड विकास अधिकारी बमसन स्थित टौणीदेवी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया। मौका पर खण्ड विकास अधिकारी की ओर पंचायत निरीक्षक के सामने दिनांक 27. 10.2002 को दोनो पक्षों में समझौता हो गया है।
5. श्री रघुनाथ सपुत्र जयराम गांव लडियार डा0.उहल तह0.व जिला हमीरपुर ने दिनांक 06.03.03 को लोकमित्र सूचना केन्द्र ऊहल के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई कि महिला मण्डल त्याण के कार्य में श्री रोशन लाल आजाद के खिलाफ 2090/–रू0. न देने बारे। शिकायत पत्र प्राप्त होने पर खण्ड विकास अधिकारी बमसन स्थित टौणीदेवी ने दिनांक 27.03.03 को दोनो पक्षों मे समझौता करवा दिया है,अब इनका आपस में कोई लेन देन नहीं है।
6. श्री बिहारी लाल सपुत्र श्री रोशन लाल गांव पलाही तह0.सुजानपुर जिला हमीरपुर ने दिनांक 11.02.03 को लोकमित्र सूचना केन्द्र जंगलबैरी के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई कि मेरा नाम आई0.आर0.डी0.पी0. से काट दिया गया है। शिकायत पत्र प्राप्त होने पर खण्ड विकास अधिकारी सुजानपुर द्वारा दिनांक 11.03. 2002 को प्रार्थी का आई.आर.डी.पी. में चयन कर लिया गया है।

विद्युत विभाग

1. प्रधान ग्राम पंचायत मोरसू सुल्तानी की शिकायत पर गांव कसीरी में बिजली की लाईन के 10–12 पोल जो लकड़ी के थे और गल चुके थे 15 दिन के भीतर विधुत विभाग द्वारा बदल दिये गये।

2. श्री काका राम गांव जंगल ने सूचना केन्द्र जंगलबैरी में दिनांक 11.08.2001 में शिकायत की कि मेरे घर को जो तार पोल से आती है वे दो महीने से इतनी नीचे आ गई है कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। मैने विभाग में चार बार शिकायत की लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।शिकायत पत्र प्राप्त होने पर विभाग द्वारा दिनांक 16.07.01 को सर्विस तार को ऊपर उठाकर यथासम्भव ठीक कर दिया गया है। जिससे कि दुर्घटना का कोई अदेशा नहीं है।

3. समस्त गांववासी बाहडू ने सूचना केन्द्र जंगलबैरी में दिनांक 23.06.01 में शिकायत की कि गांव बाहडू पंचायत बैरी में अलग ट्रास्फारमर के लिये पैसा मंजूर हुआ था। मन्जूरी के बाद वहां पर पोल आदि लगाए गए, लेकिन उसके बाद काम बन्द कर दिया गया तथा एक साल बीत जाने पर भी ट्रास्फारमर नहीं लगा है। इसका कारण बताया जाये। शिकायत पत्र प्राप्त होने पर विभाग द्वारा दिनांक 30.06.01 बिद्युत सब स्टेशन को 15 अगस्त 2001 तक यह काम पूरा करने के आदेश दे दिये गये।

4. श्री बीरवल दास सपुत्र श्री लच्छमण दास गांव गुन्डवी तह0.व जिला हमीरपुर ने लोकमित्र सूचना केन्द्र नाल्टी के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई की कि उसके मकान में दो महीने से विधुत कनैक्शन नहीं लगा है। शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा दिनांक 03.09.02 को विधुत कनैक्शन दे दिया गया है।

5. श्री अजमेर चन्द गांव सुलगवान डा0. जाहू ने दिनांक 01.01.03 को लोकमित्र सूचना केन्द्र जाहू के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई कि हमारे खेतों से जो विद्युत की तारे जाती है उनकों ऊपर उठाया जाये। शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा खेतों मे से विद्युत के तारों की ऊचाई बढ़ा दी गई है।

राजस्व विभाग

1. उप–प्रधान ग्राम पंचायत मोरसू सुल्तानी की शिकायत पर रा0.प्रा0.प्राथमिक जोल की तह जमीन जो कि सरकार की थी, को पाठशाला के नाम पर करने के लिए 1997 में आवेदन किया था। सितम्बर 2001 में विभाग द्वारा पाठशाला के नाम पांच कनाल जमीन हस्तान्तरित कर दी गई है।

2. श्री दलीप सिंह गांव कक्कड़यार ने तहसीलदार भोरंज की तीन महीने से निशानदेही न होने बारे शिकायत लेाकमित्र सूचना केन्द्र के माध्यम से की थी। पांच दिनों के थोड़े से अन्तराल में ही श्री दलीप सिंह की जमीन की निशानदेही दे दी गई।

3. श्री वतन सिंह डोगरा, प्रधान ग्राम पंचायत बडैहर को पांच ट्रक तूड़ी के भाड़े की अदायगी नही की गई थी। जुलाई में लोकमित्र सूचना केन्द्र के माध्यम से शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त जुलाई महीने में ही भाड़े की अदायगी कर दी गई।

4. श्री प्रेम चन्द गांव धिरड़ डा0.नगरोटा गाजियां तह0.भोरंज ने दिनांक 02.04.2002 को लोकमित्र सूचना केन्द्र भोरंज से शिकायत की कि वह अपनी जमीन की तकसीम करवाना चाहता है परन्तु पटवारी तीन महीनों से टाल–मटौल कर रहा है। लोकमित्र में शिकायत प्राप्त होने के बाद दिनांक 14.04.02 को प्रार्थी को तकसीम दे दी गई।

5. सदस्य बार एसोसिएशन भोरंज द्वारा दिनांक 25.05.02 को लोकमित्र सूचना केन्द्र भोंरज के माध्यम से शिकायत की गई कि श्री किशोर चन्द, अस्टाम फरोश का लाईसैस रदद् होना चाहिए क्योकि उसने जाली वकील बनने का नाटक रचा था। उक्त अस्टाम फरोश के खिलाफ पहले भी काफी आरोप लग चुके थे। परन्तु प्रमाणों व तथ्यों के अभावों के कारण उसके खिलाफ कारवाई नहीं हो पाई थी, परन्तु लोकमित्र सूचना केन्द्र के माध्यम से शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 25.05.02 को ही उसका लाईसैस रदद् कर दिया गया।

6. श्री सुरेश कुमार गांव पल्ही डा0.भरेड़ी ने दिनांक 15.7.2002 को लोकमित्र सूचना केन्द्र भरेड़ी के माध्यम से शिकायत की गई कि श्री बिहारी लाल पुत्र साधु राम गांव छतरैल तहसील भोरंज में दिनांक 12.5.01 को जमीन की एक रजिस्ट्री करवाई है। जिसमें अस्टाम्प फीस कम लगाई गई है। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार भोरंज को मामला प्रेषित करने पर छानवीन अमल में लाई गई जिसके फलस्वरूप दिनांक 30. 7.2002 को बिहारी लाल केता से कमी अस्टाम्प मु0.14,400/–रू0. तथा रजिस्ट्रेशन फीस 2,400/–रू0. सरकारी खजाना में जमा करवाये गये। इस प्रकार सरकार को 16,800/–रू0. राजस्व का लाभ हुआ।

7. श्री वचित्र सिंह सपुत्र कांशी राम गांव धार डा0.पटनौण ने दिनांक 7.11.02 को लोकमित्र सूचना केन्द्र टौणीदेवी के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई कि पटवारखाना पटनौण के लिये एक लाख पैतालीस हजार रू0. स्वीकृत हुये थे जिसमें से अभी 7000/–रू0. बाकी बचे है जो अभी तक हम नहीं मिले है। शिकायत प्राप्त होने विभाग द्वारा दिनांक 9.12.02 को मु0.7000/–रू0.सम्बन्धित व्यक्ति को वितरित किये जा चुके है।

8. श्री कश्मीर सिंह गांव अप्पर भमणोह डा0.बगवाड़ा तह0.भोरंज ने दिनांक 24.08.02 को लोकमित्र सूचना केन्द्र समीरपुर के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई गई कि मेरे मकान का उपरी हिस्सा तेज तुफान की

वजह से दिनांक 03.07.02 को रात दस बजे के करीब मकान के ऊपरी हिस्से को उड़ाकर ले गया है। शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा दिनांक 25.9.02 को प्रार्थी को 3700/–रू0. राहत राशि के रूप में वितरित किये जा चुके है।

9. श्री चुनी लाल गांव जाहू खुर्द तह0 भोरंज जिला हमीरपुर ने लोकमित्र सूचना केन्द्र जाहू के माध्यम से दिनांक 15.1.2003 को शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी भूमि पर (या सरकारी भूमि पर) अवैध रूप से खोखा निमार्ण कर रहे हैं। उसका प्रकरण छानवीन हेतू तहसीलदार भोरंज का भेजा गया। राजस्व विभाग के क्षेत्रीये अधिकारियों द्वारा दिनांक 6.2.2003 को मौका पर दौराने छानवीन पाया गया कि श्री पवन कुमार ने सरकारी भूमि पर अवैध खोखा निमार्ण टीनपोश वनाया था जिसे विभागीय अधिकारियों द्वारा हटवा दिया है अव मौका पर किसी प्रकार का कव्जा नाजायज न है।

10. श्रीमति कान्तादेवी पत्नी स्व0.श्री करतार चन्द मकान न0..94 बार्ड न0.6ने लोकमित्र सूचना केन्द्र बड़ू के माध्यम से दिनांक 01.01.03 को शिकायत दर्ज करवाई कि उसे अपने मकान के लिये टाऊन हाल के प्रागण में से आने जाने के लिये रास्ता चाहिये। शिकायत प्राप्त होने पर उप मण्डल अधिकारी(ना0.)हमीरपुर द्वारा क्षेत्रीय स्टाफ से छानवीन करवाई तथा प्रार्थी व उसके परिवार को टाऊन हाल के प्रांगन में से आने जाने के लिए रास्ता दे दिया गया है।

11. श्रीमति कौलादेवी ने जुलाई 2002 को लोकमित्र सूचना केन्द्र भोरंज के माध्यम से शिकायत की कि उसे अनुबन्धानुसार पैसे व खाना नहीं दिया जा रहा है।विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही पर श्री सुरेश कुमार ने अनुबन्धानुसार अगस्त 2002 से देना प्रारम्भ कर दिया है।

12. श्री रमेश कुमार देहल ने दिनांक 17.03.03 को लोकमित्र सूचना केन्द्र बिझड़ के माध्यम से शिकायत की कि उसकी लम्बित वेतनबृद्विया जारी की जाये। शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा दिनांक 08.04.03 को उसकी वार्षिक वेतनवृद्वि स्वीकृत कर दी गई है।

कृषि विभाग

1. श्री संजीव कुमार गांव माहड़े ने 25 मई 01 को प्रातः 10:30 बजे लोकमित्र सूचना केन्द्र टौणीदेवी में शिकायत की कि उनकी सहकारी सभा की दुकान में मक्की के बीज की कमी है, जबकि यह समय किसानों की बिजाई का होता है। उसी दिन सांय 04:30 बजे वहां पर मक्की का बीज उपलब्ध करवा दिया गया।

2. श्री सुखदेव शर्मा गांव रमेड़ा तह0.भोरंज जिला हमीरपुर ने लोकमित्र सूचना केन्द्र लदरौर के माध्यम से दिनांक 23.9.02 को शिकायत दर्ज करवाई कि हमारे टमाटर खेत में पकने से पूर्व ही फट जा रहे है। शिकायत पत्र प्राप्त होने पर कृषि विभाग के डा0.रवि कुमार शर्मा कृषि विकास अधिकारी द्वारा उक्त किसान की फसल का खेत में जाकर निरीक्षण किया जिसमें पाया गया कि टमाटर फटने का आंशिक प्रभाव था और उन्हे इसकी रोकथाम हेतु कैल्शियम कलोराईड पांच ग्राम लीटर(दवाई) के हिसाब से छिड़काव करने को कहा गया।

डाक विभाग

1. सूचक लोकमित्र सूचनालय भरेड़ी ने दिनांक 12.02.02 को शिकायत की कि उनके डाकघर भरेड़ी में किसान विकास पत्र उपलब्ध नहीं है। लोगों को किसान विकास पत्र नहीं मिल रहे है,जबकि इस सम्बन्ध में ईनामी कूपन स्कीम चल रही है। शीघ्र समाधान किया जाए। दस दिन के भीतर वहां के डाकघर में किसान विकास पत्र उपलब्ध करवा दिए गए।

2. सूचक लोकमित्र सूचनालय नादौन ने दिनांक 05.06.03 को शिकायत की कि उनके डाकघर नादौन में रसीद बुकें समाप्त हो गई थी। दिनांक 09.06.03 को रसीद बुकें उप डाकघर नादौन को 200 रसीद बुकें दिनांक 09.06.03 को प्रेषित कर दी गई है।

3.

अग्रणी बैक (पंजाब नैशनल बैंक)हमीरपुर

1. श्री बृजलाल ने लोकमित्र सूचना केन्द्र टौणीदेवी के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई कि उसने पंजाब नैशनल बैक टौणीदेवी में 1,65,000/–रू0. का चैंक दिनांक 16.11.01 को जमा करवाया। लेकिन उसको बैंक द्वारा अदायगी नहीं की गई।लोकमित्र के सहयोग से लीड बैंक के सहयोग से प्रार्थी को दिनांक 13.12.01 को अदायगी करवा दी गई।

जिला कोषाधिकारी हमीरपुर

1. श्री परमानन्द पुत्र श्री मिलखी राम वासी गांव डोहग तहसील भोरंज ने लोकमित्र सूचना केन्द्र के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई कि वह दिनांक 31.8.01 को सेवानिवृत हुआ है,लेकिन 20 दिसम्बर 2001 तक उसे कम्पयूट पैन्शन नहीं मिली। दिनांक 21.12.01 को जिला कोषाधिकारी ने रिर्पोट की कि उन्होने उसे (प्रार्थी यहां शिकायतकर्ता को)कम्पयूट पैंशन उसी दिन जब प्रार्थी ने शिकायत की थी,उपलब्ध करवा दी थी।

योजना विभाग

1. श्री हेमराज सूचक उहल के माध्यम से दिनांक 20.12.02 को शिकायत दर्ज करवाई कि उहल चौक पर सौर उर्जा लाईट लगाई जाये। दिनांक 20.12.02 को ही विभाग द्वारा सौर उर्जा स्वीकृत कर दी गई है।

जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

1. गांव लुथान सुघगल वालों ने दिनांक 25.03.03 को लोकमित्र सूचना केन्द्र नादौन के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई कि हमारे गांव में पिछले एक सप्ताह से गैस की सप्लाई नहीं हो रही है। शिकायत प्राप्त होने जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा गैस आपूर्ति के आदेश जारी कर दिये गये है।

शिक्षा विभाग(प्रा0.)

1. श्री परमजीत सिंह गांव समताना खुर्द डा0.समताना कलां जिला हमीरपुर ने दिनांक 14.02.02 को लोकमित्र सूचना केन्द्र बिझड़ के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई कि मेरा चयन रा. प्रा. पा. समताना में मेरा चयन अंशकालीन जलवाहक के पद हेतु हुआ था, लेकिन प्रधान ग्राम पंचायत समताना द्वारा मुझे नियुक्ति आदेश नहीं दिये गये। क्योकि प्रधान ग्राम पंचायत समताना द्वारा अपने लड़के उस पद पर लगवाना चाहता है, इसलिये मेरी उपस्थिति रिर्पोट मुख्यध्यापक द्वारा प्राप्त नहीं की जा रही है। शिकायत प्राप्त होने पर उप शिक्षा निदेशक(प्रा0.)हमीरपुर द्वारा उसकी उपस्थिति रिर्पोट रा0.प्रा0.पा0.समताना खुर्द में करवा दी गई है।

जिला कल्याण अधिकारी

1. श्रीमति तारोंदेवी बेवा जगदीश चन्द व श्रीमति प्रभादेवी बेवा सीमाराम गांव बुढ़ाणा डा0.कांगू तह0.नादौन ने दिनांक 18.09.02 को लोकमित्र सूचना केन्द्र कांगू के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई कि उन्हे वृद्वावस्था पैन्शन फार्म चाहिए जोकि उन्हे कई दिनों से प्राप्त नहीं हो रहे थे। शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा दिनांक 21.09.02 को विघ्वा पैन्शन फार्म उन्हे उनके घर में ही उलपब्ध करवा दिये गये।

2. श्रीमति फूलादेवी पत्नी स्व0.मिलखीराम गांव खलेड डा0.पुतड़ियाल ने दिनांक 06.06.2003 को लोकमित्र सूचना केन्द्र रंगस के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई कि उन्हे वृद्वावस्था पैन्शन अवितरित हेतु। शिकायत प्राप्त होने पर अवधि 4/03से 6/2003 का मनीआर्डर उक्त पैंन्शनर को तहसील नादौन के अन्य पैन्शनरों के साथ अग्रिम भेजा जा चुका है।